क्रम-संख्या--501

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 3 अक्तूबर, 1981

आश्विन 11, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग--1

संख्या 2546/सत्रह-वि-1--102-81

लखनऊ, 3 अक्तूबर, 1981

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, 1981 पर दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1981 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1981

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1981)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

(2) यह 1 अप्रैल, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1962 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (3-क) में, शब्द "यात्रियों के बीमा के प्रयोजनार्थ" के स्थान पर शब्द, "दुर्घटनाओं की दशा में यात्रियों को सहायता देने के प्रयोजनार्थ" रख दिये जायेंगे।

धारा 30 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(कक) धारा 3 की उपधारा (3-क) में, निर्दिष्ट सहायता की धनराशि को अवधारित करने के सिद्धान्त और उसका भुगतान करने की रीति, नियत करना;"।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 2546(2)/XVII-V-1—102-81

Dated Lucknow, October 3, 1981

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1981 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1981), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 1, 1981:

THE UTTAR PRADESH MOTOR GADI (YATRI-KAR) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1981

[U. P. Act no. 15 of 1981]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-Kar) Adhiniyam, 1962

It is hereby enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-Kar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1981.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 1, 1981.

Amendment of section 3 of U.P. Act 8 of 1962.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-Kar) Adhiniyam, 1962, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (3-A), *for* the words "insurance of passengers", the words "providing relief to passengers in case of accidents" shall be *substituted*.

Amendment of section 30.

3. In section 30 of the principal Act, in sub-section (2), *after* clause (*a*), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(*aa*) prescribing the principles for determination of the amount of relief referred to in sub-section (3-A) of section 3 and the manner in which it shall be paid;"

Repeal and savings.

4. (1) The Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-Kar) (Amendment) Ordinance, 1981, is hereby repealed. U.P. Ordinance 2 of 19

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए०पी० 124 सा० (विधा०)—5—10—81—(2117)—1981—700 (मेक०)।